शिवहर में एक -एक शामिल हैं। अनुसार सात प्रखंडों की 32 पंचायत

सृजन घोटाले से संबंधित जांच की प्रक्रिया तत्काल स्थगित

कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव व लॉकडाउन के कारण जांच रोकी गई, खातों का हो चुका है मिलान, सीबीआइ को सौंपे जाने थे कागजात

जासं, भागलपुर : सहकारिता विभाग की तरफ से हो रही सृजन घोटाले की जांच प्रक्रिया कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दी गई है। हालांकि, पिछले महीने 19 जून को भागलपुर प्रमंडल सहयोग समिति ने निर्णय लिया था कि सृजन संस्था का 2003 से 17 तक का ऑडिट किया जाएगा।

लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रभाव और लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया को तत्काल स्थगित कर दी गई है। जांच के लिए सृजन के प्रशासक ने ऑडिटर को कागजात सौंप दिया था। ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। साथ ही सृजन के खाते का मिलान कराने का आदेश दिया गया था। रजिस्टर और कंप्यूटर से मिलान होना था। करीब 12000 खाते की कंप्यूटर में एंट्री हुई है। दस हजार खाते का रजिस्टर और कंप्यूटर से मिलान हो गया है। पूरी प्रक्रिया होने के बाद कागजात को सीबीआइ को सौंपा जाना था। लेकिन यह प्रक्रिया भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की राशि को लेकर मनी सूट दायर करने का आदेश दिया गया था। इसके लिए अधिवक्ता से बात करनी थी। लेकिन यह प्रक्रिया भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्रक्रिया के आगे बढ़ने की संभावना है। इधर, डीआरडीए में हुए सृजन घोटाले की सुनवाई 29 जुलाई को होनी थी। लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है।

दैनिक जागरण 28/07/2020